न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं,,
राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2017, कैम्प– ग्राम पंचायत कुलोठ कलां

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)
मिसल नं. ::: 90/2017
सरकार बनाम शेरसिंह पुत्र महादाराम, जाति–जाट, निवासी– कुलोठ कलां

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 30.05.2017

निर्णय

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत कुलोठ कलां में पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल शेरसिंह पुत्र महादाराम, जाति–जाट, निवासी– कुलोठ कलां द्वारा रोही मौजा कुलोठ कलां की राजकीय भूमि ख.नं. 897/482 के कुल रकबा 0.59 है0 किस्म बा–ा में से रकबा 0.04 है0 भूमि पर कुरड़ी डालकर व बाड़ बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। राजस्व लोक अदालत कैम्प में गैर सायल ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किया किंया कि उसने सिवायचक भूमि से कब्जा हटा दिया है। इस पर पटवारी हल्का से मौका जांच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जांच पटवारी हल्का अतिक्रमी ने आदिनांक तक अतिक्रमण नही हटाया है। अतः गैर सायल का जवाब सही नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2017,, कैम्प ग्राम पंचायत कुलोठ कलां में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 08 पर
वर्ष 2017-18 में रुपये 12/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़